

DAC

एड्स नियंत्रण विभाग की पत्रिका

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

समाचार

NACO

खंड IX अंक 1 | अक्टोबर 2013 से मार्च 2014

एन ए सी पी - IV
के साथ नई
अं चाइयाँ होते हुए



एड्स नियंत्रण विभाग डॉ. हर्ष वर्धन, माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, भारत सरकार, का स्वागत करते हैं



विषय-सूची

विषय-सूची

- 3 सचिव, एड्स नियंत्रण विभाग की कलम से
4 एतिहासिक निर्णय

आवरण कथा

- 5 एनएसीपी-IV का शुभारंभ

घटनाक्रम



- 7 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस
8 अंतर्राष्ट्रीय संचार प्रबंधन सम्मेलन (आईसीएमसी)
8 महाराष्ट्र के 25 एल डब्ल्यू एस जिलों में लोक अभियान की शुरुआत
9 स्वैच्छिक रक्तदान शिविर
10 आईसीएपी-थाइलैंड में एड्स नियंत्रण विभाग द्वारा प्रस्तुतीकरण
11 संसद सदस्यों द्वारा स्वैच्छिक एच आई वी परामर्श एवं परीक्षण तथा रक्तदान का समर्थन

कार्यक्रम

- 12 माता-पिता से बच्चे को एचआईवी संचरण के उन्मूलन की दिशा में एक कार्यनीति बनाने के लिए राष्ट्रीय विशेषज्ञ परामर्श
13 एच आई वी को मुख्यधारा में लाने के लिए साझेदारी
14 आई डी यू के लिए ओपियोड प्रतिस्थापन चिकित्सा का विस्तारण
16 एच आई वी संवेदी सामाजिक सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन
17 ट्रांसजेंडर और हिजड़ा कार्यक्रमों का विस्तार
18 एड्स नियंत्रण विभाग द्वारा रोग नियंत्रण केन्द्रों (सी डी सी) की सहभागिता में एक समूह विश्लेषण कार्यशाला का आयोजन किया गया
19 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के साथ समाभिरूपता
20 निःशुल्क कंडोम आपूर्ति में अंतराल के आंकलन सम्बन्धी अध्ययन
20 भारत में एच आई वी के साथ रह रहे लोगों के विरुद्ध भेदभाव समाप्त करना

राज्यों का समाचार

- 21 स्वैच्छिक रक्तदान, उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी
21 वडोदरा में विश्व एड्स दिवस 2013 का आयोजन
22 सचिव, एड्स नियंत्रण विभाग ने पुडुचेरी का दौरा किया
22 असम राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह मनाया



सचिव महोदय की कलम से



प्रिय पाठकों,

अक्टूबर 2013 से मार्च 2014 तक की अवधि पर दृष्टि डालने पर यह देखने में आता है कि इस अवधि में महत्वपूर्ण विकास हुआ है जिससे अगले 2-3 वर्षों में राष्ट्रीय कार्यक्रम पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। इस अवधि के दौरान हमने (i) नए संक्रमणों को 50 तक कम करने (एन ए सी पी-III की 2007 की आधार रेखा), (ii) एचआईवी/एड्स के साथ रह रहे सभी व्यक्तियों को व्यापक परिचर्या व सहायता उपलब्ध कराने तथा उन सभी के लिए उपचार सेवाएं उपलब्ध कराने जिन्हें इसकी आवश्यकता हो, के विस्तृत उद्देश्य सहित राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एन ए सी पी -IV) के चौथे चरण हेतु व्यापक योजना की शुरुआत की है। 31 मार्च, 2014 को राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के इतिहास में उपलब्धि हासिल की जब हमने देश में एआरटी के दस वर्ष पूरे किए। एक दशक की यह अत्यंत चुनौतीपूर्ण परंतु लाभदायक यात्रा रही है जिसमें हमने एचआईवी के साथ रह रहे लोगों के लिए एंटी-रेट्रोवायरल उपचार के प्रावधान के अनुसार सेवा प्रदानगी में अभूतपूर्व विस्तार देखा है। निकट भविष्य में, हमारा एचआईवी के साथ रह रहे लोगों के लिए थर्ड लाइन एंटी-रेट्रोवायरल चिकित्सा उपलब्ध कराने का भी इरादा है।

एनएसीपी के अंतर्गत, प्रयोगशाला निष्पादन की निरंतर निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण कार्यों के मूल्यांकन के माध्यम से एचआईवी जांच में उच्च गुणवत्ता मानक सुनिश्चित किए गए। इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय अंशांकन एवं परीक्षण प्रयोगशाला बोर्ड (एनएबीएल) द्वारा 36 राज्य संदर्भ प्रयोगशालाओं को मान्यता प्रदान की गई।

रक्ताधान सेवाओं (डीबीटीएस) के तहत स्वैच्छिक, पारिश्रमिक रहित रक्त दान के माध्यम से सुरक्षित रक्त और रक्त घटकों की उपलब्धता और सुलभता में सुधार की दिशा में हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। गुणवत्ता के विशेष उल्लेख सहित देश में रक्ताधान सेवाओं के मौजूदा परिप्रेक्ष्य को समझने के लिए त्वरित परिस्थिति विश्लेषण आरंभ किया गया है। देशभर में नैदानिक उपभोग हेतु अनिवार्य चिकित्सीय रक्त एवं प्लाज्मा उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और उसमें सुधार के लिए, मेट्रो ब्लड बैंक परियोजना (रक्ताधान मेडिसिन

में उत्कृष्टता केन्द्र), अप्रयुक्त प्लाज्मा एवं प्लाज्मा फ्रैक्शनशन केन्द्र को उपयोग में लाने सम्बन्धी नीति जैसी पहल पर उचित बल दिया जाएगा।

इस अवधि के दौरान माता से शिशु में एचआईवी और उपदंश के संचरण के उन्मूलन की दिशा में हमारे प्रयासों ने निर्णायक मोड़ के रूप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की है।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम ने अपने पीपीटीसीटी कार्यक्रम के माध्यम से देश भर में सभी पोजीटिव गर्भवती महिलाओं के लिए जीवनपर्यंत टिपल ड्रग एंटी-रेट्रोवायरल चिकित्सा की सुविधा भी शुरू की है। एचआईवी निवारण कार्यक्रम में जन्मजात उपदंश का उन्मूलन करना भी केन्द्र में है। अगले चरण में दूसरा महत्वपूर्ण क्रियाकलाप एकीकृत जैव-व्यवहार निगरानी (आईबीबीएस) होगा जो ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ किशोरों पर केन्द्रित रहेगा।

अन्य मंत्रालयों और भागीदारों के साथ एचआईवी क्रियाकलापों को मुख्यधारा में लाने के प्रयासों के अत्यंत लाभदायक परिणाम आ रहे हैं और विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के साथ आठ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

नए संक्रमणों के निवारण, सेवाओं के विस्तार में और एचआईवी के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों तथा इसके कारण प्रभावित व्यक्तियों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने में समुदायों और विकास भागीदारों द्वारा प्रदान की गई निरंतर सहायता के लिए आभार व्यक्त करता हूँ।

डॉ. वी.के. सुबुराज

ऐतिहासिक निर्णय

संपादकीय

ट्रांसजेंडर और हिजड़े सदियों से जिस अस्पष्ट पहचान उत्पीड़न के साथ रह रहे थे वह 15/4/2014 को समाप्त हो गया, जब सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें "थर्ड जेंडर" के रूप में मान्यता दी। दीर्घकाल से ट्रांसजेंडर भारत में एक उत्पीड़ित लैंगिक अल्पसंख्यक रहे हैं परंतु सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय उन्हें अत्यंत मूलभूत मानवाधिकार देते हुए ट्रांसजेंडर समुदाय के उत्पीड़न को समाप्त करने जा रहा है।

"हम केन्द्र और राज्य सरकारों को निदेश देते हैं कि उनसे सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के नागरिकों की तरह व्यवहार किया जाए और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के मामलों में और सरकारी नियुक्तियों हेतु उन्हें सभी प्रकार का आरक्षण दिया जाए। "अपने 111 पृष्ठ के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा: "लिंग (पुरुष और स्त्री) की दोहरी धारणा भारतीय दंड संहिता में और साथ ही विवाह, दत्तक-ग्रहण, तलाक, विरासत, उत्तराधिकार और अन्य कल्याणकारी कानूनों में भी प्रतिबिंबित होती हैं। विभिन्न कानूनों में हिजड़ों/ ट्रांसजेंडरों की पहचान की गैर-मान्यता उन्हें समान कानूनी सुरक्षा से वंचित करती थी तथा वे व्यापक भेदभाव का सामना करते थे। "पीठ ने कहा कि ट्रांसजेंडर समुदाय को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19) का तथा मान-मर्यादा के साथ जीने का (अनुच्छेद 21) अलंघनीय संवैधानिक अधिकार है। हिजड़ों और नपुंसको को थर्ड जेंडर की पहचान देने वाले और सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ लेने के लिए उन्हें अन्य पिछड़ा वर्गों में शामिल करने का आदेश देते हुए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश ने भारत को विश्व मानचित्र पर ऐसे देश के रूप में स्थापित कर दिया है जो लैंगिक अल्पसंख्यकों के प्रति संवेदनशील है। एड्स नियंत्रण विभाग के निरंतर समर्थन से, वे इंदिरा आवासीय योजना के तहत वरीयता वाले समूह हैं। अब एड्स नियंत्रण विभाग उच्च शिक्षा विभाग से उन्हें "प्रवेश प्रपत्र" आदि में थर्ड जेंडर को मान्यता देने के लिए वकालत कर रहा है ताकि उनकी शिक्षा, कौशल-निर्माण और जीवनयापन सुनिश्चित किया जा सके।

केन्द्र में एक सक्रिय आगामी सरकार के साथ, समाज में मौजूद सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने के लिए, एड्स नियंत्रण विभाग भविष्य में ऐसे और सुकर कानूनों और निर्णयों की ओर आशा से देख रहा है। हमें सभी समुदाय के कल्याण के लिए प्रगामी और सकारात्मक सोच के साथ आगे आना होगा।



डॉ. नरेश गोयल, उपमहानिदेशक (एलएस) एवं
संयुक्त निदेशक (आईईसी)

सचिव, एड्स नियंत्रण विभाग का स्वागत

हमें डॉ. वी. के. सुबुराज का स्वागत करने में अत्यंत हर्ष हो रहा है जिन्होंने 1 मार्च 2014 को एड्स नियंत्रण विभाग में बतौर सचिव, कार्यभार ग्रहण किया है आप भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1980 बैच (तमिलनाडु संवर्ग) के अधिकारी हैं जिन्होंने विभिन्न सरकारी विभागों में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है और प्रशासनिक व औद्योगिक क्षेत्र का प्रचुर और विविध अनुभव है। हमें एनएसीपी-IV के सफल क्रियान्वयन हेतु उनके मार्गदर्शन की अपेक्षा है।



संयुक्त सचिव, एड्स नियंत्रण विभाग का स्वागत

श्री के. बी. अग्रवाल का संयुक्त सचिव, एड्स नियंत्रण विभाग के रूप में स्वागत करने में हमें हर्ष हो रहा है। उन्होंने 11 मार्च 2014 को विभाग का कार्यभार ग्रहण किया। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1985 बैच (जम्मू और कश्मीर संवर्ग) के अधिकारी होने के साथ-साथ वे आईआईटी रुड़की से एक इंजीनियर और दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी भी हैं। हमें एनएसीपी-IV के क्रियान्वयन में उनके मार्गदर्शन की अपेक्षा है।



ए आर टी पर रोगियों की संख्या*

कार्यरत एआरटी केन्द्रों की संख्या	425
कार्यरत संपर्क एआरटी केन्द्रों की संख्या	870
एआरटी प्राप्त करने वाले पीएलएचआईवी की संख्या	7,68,840
एआरटी प्राप्त करने वाले सीएलएचएच की संख्या	42,015

*मार्च, 2014 तक

एनएसीपी-IV का शुभारंभ

एड्स नियंत्रण विभाग ने नई दिल्ली में 12 फरवरी, 2014 को एनएसीपी के चौथे चरण का शुभारंभ किया

एनएसीपी-III (2007-2012) के दौरान प्राप्त उपलब्धियों को सुदृढ करते हुए, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के चरण-IV (2012-17) का लक्ष्य अगले पांच वर्षों के दौरान एक सतर्क एवं सुपरिभाषित एकीकरण प्रक्रिया के माध्यम से प्रतिवर्तन की प्रक्रिया में तेजी लाना तथा भारत में महामारी प्रतिक्रिया को और सुदृढ करना है। एनएसीपी-IV का लक्ष्य, उच्च जोखिम समूहों और संवेदनशील जनसंख्या पर फोकस करते हुए, व्यापक परिचर्या, समर्थन और उपचार सेवाओं की सुगमता में वृद्धि करते हुए तथा उसे बढ़ावा देते हुए निवारण सेवाओं में तीव्रता लाना और उन्हें सुदृढ करना है।



सभागार में उपस्थित विकास भागीदारों, सीएसओ व गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि तथा विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारीगण

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एनएसीपी-IV) के चौथे चरण को अनुमोदन दिए जाने के पश्चात, राष्ट्रीय मीडिया केन्द्र, नई दिल्ली में 12 फरवरी, 2014 को एनएसीपी-IV के लिए एक औपचारिक शुभारंभ समारोह का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री गुलाम नबी आजाद, माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, भारत सरकार ने एनएसीपी के चौथे चरण का शुभारंभ किया जिसका लक्ष्य देश के राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम में तेजी लाना है। सम्माननीय अतिथियों में श्री ऑस्कर फर्नाडिस, माननीय यातायात, सड़क एवं राजमार्ग तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री और अध्यक्ष, एचआईवी/एड्स पर संसद सदस्य फोरम, श्रीमती संतोष चौधरी, माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री और डॉ.जे.डी.सीलम, माननीय राजस्व राज्य मंत्री तथा महासचिव, एचआईवी/एड्स पर संसद सदस्य फोरम शामिल थे। श्री लव वर्मा, सचिव, एड्स नियंत्रण विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा सुश्री अनुराधा चौधरी, सचिव, औषधि विभाग, रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय ने भी एनएसीपी-IV के शुभारंभ समारोह के दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित किया।

एनएसीपी-IV के शुभारंभ समारोह में सीडीसी, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनेड्स, बीएमजीएफ, पीएचएफआई, विश्व बैंक, जीएफएटीएम, आदि सहित विकास भागीदारों के प्रतिनिधियों, सिविल सोसाइटी संगठनों और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों, विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों, मीडिया कर्मियों एवं राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटियों के अधिकारियों और एड्स नियंत्रण विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया।

इस शुभ अवसर पर माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्री ने घोषणाएं की जिन पर भारत सरकार ने भारत में एचआईवी/एड्स कार्यक्रम के संबंध में निर्णय लिया है। पहला, एचआईवी/एड्स विधेयक को 11 फरवरी, 2014 को संसद में प्रस्तुत कर दिया गया है। दूसरा, एआरटी प्राप्त करने के लिए योग्यता को सीडी4 के स्तर 350 से 500 तक कर दिया गया है, जिसे शीघ्र शुरू किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि एचआईवी से पीड़ित व्यक्तियों का उपचार आरंभिक स्तर पर शुरू हो जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप उनकी दीर्घायु और उत्पादकता में वृद्धि के साथ-साथ नए संक्रमणों के निवारण में योगदान मिलेगा। तीसरा, उन्होंने उन लोगों के लिए तृतीय पंक्ति एआरटी लागू करने की घोषणा की जो कार्यक्रम के तहत द्वितीय पंक्ति एआरटी पर असफल रहते हैं। माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा अन्य महत्वपूर्ण पहल, देश में सभी एचआईवी ग्रस्त गर्भवती महिलाओं के लिए उनकी सीडी4 गणना के बावजूद एआरटी शुरू किया जाना, इस कार्यनीति से बच्चों में नए एचआईवी संक्रमणों के निराकरण के उद्देश्य की दिशा में मदद मिलेगी।

शिष्टमंडल ने सर्वसम्मति से इस तथ्य पर बल दिया कि एचआईवी/एड्स देश में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक गंभीर चुनौती प्रस्तुत कर रहा है और यह भी स्वीकार किया कि भारत में एचआईवी महामारी पर प्रतिक्रिया अच्छी रही है, जैसा पिछले दशक में वयस्क एचआईवी व्याप्तता और नए संक्रमणों में काफी गिरावट से स्पष्ट होता है। श्री ऑस्कर फर्नाडिस और डॉ. जे.डी. सीलम ने इस बात पर बल दिया कि एचआईवी/एड्स पर संसद

continued...



एनएसीपी-IV का शुभारंभ

सदस्य फोरम राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम को सहयोग देती रहेगी और कहा कि राष्ट्रीय एड्स प्रतिक्रिया के लिए अधिक प्रभावी योगदान हेतु ग्राम स्तर तक निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ समन्वयन द्वारा जनता तक एचआईवी/एड्स के मामले को ले जाने के लिए फोरम वचनबद्ध है। श्रीमती संतोष चौधरी ने इस बात पर बल दिया कि एचआईवी/एड्स के विरुद्ध लड़ाई जीतने के लिए प्राथमिकताओं में शामिल हैं- रोग के विषय में जागरूकता उत्पन्न करना, कलंक व भेदभाव का निराकरण, सामाजिक गतिशीलता और मजबूत एवं प्रभावी नेतृत्व हेतु उन लोगों को एचआईवी सेवाओं की उपलब्धता सुगम कराना जिन्हें इसकी आवश्यकता है। श्री लव वर्मा ने मुख्य रूप से कहा कि एनएसीपी-IV में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों की भागीदारी, सामुदायिक भागीदारी और गुणवत्ता नियंत्रण कार्यक्रम सुनिश्चित किया जाना शामिल है। सुश्री अराधना जौहरी ने इस बात पर बल दिया कि एनएसीपी-IV ने कार्यक्रम को एक मानवीय रूप दिया है और यह दोहराया कि सामुदायिक भागीदारी एक महत्वपूर्ण पहलू है और कार्यक्रम का वित्तीय लागत व्यवस्था योजना आवंटन से आकार में बड़ा है।

इस अवसर पर कई प्रचालनात्मक दिशानिर्देश तथ्य पत्र तथा रिपोर्टें भी जारी किए गए। एनएसीपी-IV कार्यनीति दस्तावेज के विमोचन के अतिरिक्त एड्स नियंत्रण विभाग का कैलेंडर, मेनस्ट्रीमिंग पर मोनोग्राफ, परिचर्या एवं सहायता केन्द्रों के लिए प्रचालनात्मक दिशानिर्देश, एचआईवी सेंटीनल सर्विलास 2012-13 एक संक्षिप्त तकनीकी विवरण, सात राज्यों (छत्तीसगढ़, दिल्ली हरियाणा, झारखंड, केरल, ओडिसा और उत्तर प्रदेश) से जिला एचआईवी जानपदिक रोग विज्ञान प्रोफाइल, पीपीटीसीटी हेतु राष्ट्रीय कार्यनीतिपरक योजना, पीपीटीसीटी हेतु राष्ट्रीय तकनीकी



एनएसीपी-IV के अवसर पर दस्तावेज जारी करते हुए: श्री लव वर्मा, सचिव, श्रीमती संतोष चौधरी और सुश्री अराधना जौहरी

दिशानिर्देश, संयुक्त एचआईवी/टीबी सहयोगात्मक क्रियाकलापों हेतु राष्ट्रीय ढांचा, एसटीआई/आरटीआई के निदान हेतु प्रयोगशाला नियम पुस्तक और एसटीआई/आरटीआई प्रयोगशालाओं हेतु प्रचालनात्मक दिशानिर्देश भी जारी किए गए। इन दस्तावेजों को एड्स नियंत्रण विभाग की वेबसाइट (www.naco.gov.in) पर देखा जा सकता है।

एनएसीपी-IV का लक्ष्य नए संक्रमण कम करना और सभी पीएलएचआईवी को व्यापक परिचर्या और सहायता तथा अपेक्षित लोगों के लिए उपचार सेवाएं उपलब्ध कराना है। एनएसीपी-IV की मुख्य कार्यनीतियों में शामिल हैं (1) एचआरजी और संवेदनशील जनसंख्या पर फोकस सहित निवारण सेवाओं में तेजी लाना तथा समेकित करना (2) व्यापक परिचर्या, सहायता और उपचार की सुगमता में वृद्धि करना और बढ़ावा देना, (3) व्यवहार परिवर्तन और मांग उत्पन्न करने पर फोकस करते हुए सामान्य जनसंख्या और

continued...



Documents released during NACP IV launch function



एनएसीपी-IV के अवसर पर जारी दस्तावेज़

उच्च जोखिम समूहों के लिए आईईसी सेवाओं में विस्तार करना और (4) राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर क्षमता निर्माण करना तथा (5) कार्यनीतिपरक सूचना प्रबंधन प्रणाली (एसआईएमएस) का सुदृढीकरण करना।

एनएसीपी-IV के अंतर्गत कई नए कार्यकलापों की योजना बनायी गयी है, जिनमें सूई द्वारा नशीली दवाओं का सेवन करने

वालों के लिए ओपियोड प्रतिस्थापन चिकित्सा में वृद्धि करना, स्रोत, पारगमन और गंतव्य स्थानों पर प्रवासी कार्यकलापों में वृद्धि करना और सुदृढीकरण, हिजडा जनसंख्या की संवेदनशीलताओं के निराकरण हेतु सामुदायिक भागीदारी और अभिकेन्द्रित कार्यनीतियों द्वारा इनमें कार्यकलापों में वृद्धि करना, माता पिता से बच्चे में संचरण की रोकथाम हेतु मल्टी ड्रग रेजीमेन की शुरुआत करना, मुख्यधारा में लाने की सुदृढ पहलों के माध्यम से सभी मुख्य सरकारी विभागों में एचआईवी के लिए बजट अलग से रखना, नियोजित अगुवाई मॉडल, रक्ताधान चिकित्सा और एक प्लाज्मा फ्रेक्शनेशन केन्द्र में उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में चार मेट्रो ब्लड बैंको की स्थापना और द्वितीय पंक्ति एआरटी में विस्तारण कार्य शामिल है।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एनएसीपी-IV) के चौथे चरण के लिए पांच वर्षों हेतु कुल बजटीय संसाधन 14,295.05 करोड़ रु. है। परियोजना का आंशिक वित्तपोषण वैश्विक निधि से अनुदानों तथा विश्व बैंक ऋण माध्यम से किया जाता है।

एम एंड ई, एड्स नियंत्रण विभाग

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस: मुम्बई

ऐश्वर्या राय बच्चन ने महिलाओं और बच्चों में एचआईवी संक्रमण के निवारण के उद्देश्य का समर्थन किया

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च 2014 के अवसर पर यूएन एड्स अंतर्राष्ट्रीय सदभावना राजदूत, अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन ने दो केन्द्रों अर्थात् के.बी. भाभा अस्पताल, मुम्बई जो नवजात शिशुओं में एचआईवी संक्रमण के निवारण की दिशा में कार्य करता है और महिलाओं के लिए आपदा मध्यस्थता केन्द्र का दौरा किया।

सुश्री राय ने अपने भाषण में कहा, "हर माँ की इच्छा होती है कि उसका स्वस्थ शिशु हो---- और एक स्वस्थ, खुशहाल और सफल जीवन जीने का प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। मेरा यह भी मानना है कि प्रत्येक कन्या का अधिकार है कि वह एक ऐसे समाज में पले जहाँ उसके लिंग के कारण उससे भेदभाव न किया जाए। कन्याओं और महिलाओं को यह महसूस कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है कि आज समाज में समान अवसर उपलब्ध हैं और उन्हें सफल और सूचित विकल्पों को चुनने के लिए प्रोत्साहन और सहयोग देना आवश्यक है। प्रत्येक मनुष्य के लिए घर में, स्कूल में, कार्य क्षेत्र पर, सड़क पर और मुक्त समाज के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है और विशेषकर लड़कियों/महिलाओं के लिए जहाँ लिंग समानता को समाज स्वीकार



अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस,



बाएं से दाएं - डॉ. लुइज लोरेज, सुश्री ऐश्वर्या राय बच्चन और श्री वी के सुबुराज

समर्थन नहीं करता। हमें आश्वासन के शब्दों की आवश्यकता नहीं है।" सचिव एड्स नियंत्रण विभाग ने एड्स नियंत्रण विभाग व मुम्बई एड्स नियंत्रण सोसाइटी के अधिकारियों के साथ कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर, सचिव, एड्स नियंत्रण विभाग ने अपने भाषण में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत पीपीटीसीटी सेवाओं पर प्रकाश डाला। डॉ. लुइज लोरेज, यूएन एड्स के उप कार्यकारी निदेशक ने भी भारत के महानगरों के साथ-साथ गांवों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए किए गए नए कानूनी उपायों पर प्रकाश डालते हुए इस अवसर पर वक्तव्य दिया।

आईईसी, एड्स नियंत्रण विभाग

प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संचार प्रबंधन सम्मेलन (आईसीएमसी) में एड्स नियंत्रण विभाग

एड्स नियंत्रण विभाग के अधिकारियों ने मुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ कम्प्यूनीकेशन (एमआईसीए), अहमदाबाद में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एनएसीपी) का परिदृश्य प्रस्तुत किया

एड्स नियंत्रण विभाग, नागालैंड राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी, पीएचएफआई, बीबीसी वर्ल्ड सर्विस ट्रस्ट (बीसीडब्ल्यूएसटी) और आईएनपी+ के अधिकारियों के एक दल ने मुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ कम्प्यूनीकेशन (एमआईसीए), अहमदाबाद द्वारा फरवरी 12-14, 2014 को आयोजित स्वास्थ्य संचार प्रबंधन: लोग, कार्यक्रम और उत्पाद विषय पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संचार प्रबंधन सम्मेलन (आईसीएमसी) में 14 फरवरी को एचआईवी मामलों पर एक विशेष सत्र में भाग लिया। डॉ. प्रीति कुमार, परियोजना निदेशक एचआईवी/एड्स परियोजना, पीएचएफआई द्वारा संचालित एक सत्र में, पैनल ने संचार कार्यनीति पर फोकस सहित राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एनएसीपी) के परिदृश्य प्रस्तुत किए। डॉ. गोयल ने एनएसीपी की प्रगति, एनएसीपी-III की उपलब्धियों और एनएसीपी-IV के लिए कार्यनीति पर प्रस्तुति दी।

डॉ. राजेश राणा ने संचार कार्यनीतियों में फोकस के चरणवार स्थानांतरण पर प्रस्तुति दी जबकि डॉ. संजीव के चक्रवर्ती ने रेड रिबन एक्सप्रेस पर प्रस्तुति दी। सुश्री एलिजाबेथ माइकल ने मुख्यधारा में लाने, समर्थन और सामाजिक सुरक्षा के पहलुओं के बारे में बताया।



आई सी एम सी में पैनल विचार - विमर्श बाएं से दाएं - श्री आशीष यादव, डा नरेश गोयल, सुश्री एलिजाबेथ माइकल, डॉ. प्रीति कुमार

सुश्री एइनो केच्, नागालैंड राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी, ने विभिन्न प्रचार माध्यम के अभियानों की एक झलक प्रस्तुत की। श्री आशीष यादव, बीबीसी डब्ल्यूएसटी, ने एमएसीपी के अंतर्गत बनाए गई दृश्य श्रव्य प्रस्तुति पेश की और श्री मनोज परदेशी, राष्ट्रीय समन्वयक, अंतर्राष्ट्रीय उपचार तैयारी गठबंधन भारत (आईटीपीसी-भारत), आईएनपी+, ने एनएसीपी के अंतर्गत सकारात्मक जीवनशैली और इसके प्रावधानों पर वक्तव्य दिया।

आईईसी-एड्स नियंत्रण विभाग

महाराष्ट्र के 25 एलडब्ल्यूएस जिलों में लोक अभियान की शुरुआत

महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी के एलडब्ल्यूएस दल ने अनुमोदित एपी-2013-14 के अनुसार 25 एलडब्ल्यूएस जिलों में चरण-11 मिड-मीडिया क्रियाकलापों की शुरुआत की योजना बनाई थी। उसी समय पर, महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी के आईईसी, टीआई और एलडब्ल्यूएस प्रभागों द्वारा संयुक्त रूप से यह आवश्यकता महसूस की गई कि एलडब्ल्यूएस गांवों में लोक मंडलियों को निवारण संदेशों के साथ शुरुआत की जा सकती है।

एड्स नियंत्रण विभाग के आईईसी व एलडब्ल्यूएस तकनीकी दलों के संयुक्त सहयोग से फरवरी, 2013 में महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी द्वारा पुणे में एक दो-दिवसीय राज्य स्तरीय योजना बैठक और प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। सभी 25 जिला डीपी.एम ने योजना बैठक में भाग लिया और ग्राम स्तरीय मार्ग योजनाओं पर विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया। एड्स नियंत्रण विभाग और महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी के एलडब्ल्यूएस और आईईसी तकनीकी दलों की मौजूदगी में, सहभागी लोक मंडली नेताओं और डीपीएम की शुभारंभ करने की कार्यनीतियों और संभावित परिणामों पर खुल कर विचार-विमर्श हुआ। मार्च, 2013 तक, राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी के एलडब्ल्यूएस दल और आईईसी लोक मंडलियों ने 1440 एलडब्ल्यूएस गांवों में मिड-मीडिया क्रियाकलापों के भाग के रूप में संयुक्त रूप से 2900 लोक प्रदर्शन किए। महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी, टीआई और एल डब्ल्यूएस दल ने प्रदर्शनों की निगरानी की। एलडब्ल्यूएस गांवों में लोक अभियानों की सफलता दर को देखते हुए, आईईसी और एलडब्ल्यूएस दल, एड्स नियंत्रण विभाग ने वित्तीय वर्ष 2014-15 में 106 एलडब्ल्यूएस जिलों को शामिल करते हुए 10,600 गांवों में मिड-मीडिया लोक प्रदर्शनों के आयोजन की योजना बनाई है।

आईईसी-एड्स नियंत्रण विभाग

पुणे कार्यशाला में भागीदार



एड्स नियंत्रण विभाग द्वारा 1 अक्टूबर, 2013 को स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन

एड्स नियंत्रण विभाग ने 100 बार से अधिक रक्तदान करने वाले लोगों को सम्मानित किया

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री गुलाम नबी आजाद ने स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया जिसके पश्चात "सभी को सुरक्षित रक्त" विषय पर एक सुग्राहीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया जो एड्स नियंत्रण विभाग की एक विशेष पहल के रूप में राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 1 अक्टूबर, 2013 को आयोजित किया गया। एड्स नियंत्रण विभाग का अपनी तरह का यह पहला प्रयास था, क्योंकि एक ही विभाग के लगभग 100 अधिकारियों ने एक ही दिन में रक्तदान किया। अन्य विभागों के अधिकारी भी रक्तदान हेतु सामने आए।

मिस यूनीवर्स 2012, सुश्री ओलिविया कुल्पो ने समारोह की शोभा बढ़ाई और भारत सरकार को उसके एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के लिए सराहना की। उन्होंने युवाओं का रक्तदान करने और अधिक जीवन बचाने हेतु आगे आने का भी आहवाहन



इस अवसर पर उपस्थित अतिथिगण



मिस यूनीवर्स 2012, सुश्री ओलिविया कुल्पो सभा को संबोधित करते हुए

किया। इस अवसर पर बोलते हुए और वीडियो के महत्व पर बल देते हुए श्री आजाद ने कहा कि भारत एक बहु-धर्मी और बहुजातीय देश है तथा स्वैच्छिक रक्त एकत्रीकरण में एड्स नियंत्रण विभाग की भूमिका के बारे में बताया।

श्री लव वर्मा, सचिव, एड्स नियंत्रण विभाग ने युवाओं को यह शपथ लेने के लिए प्रोत्साहित किया कि वे स्वैच्छिक आधार पर नियमित रूप से रक्तदान करेंगे। सुश्री अराधना जौहरी, अपर सचिव, एड्स नियंत्रण विभाग ने कहा कि कार्यक्रम का प्रभावशाली विस्तारण हुआ है। मौजूदा 2600 ब्लड बैंकों में से एड्स नियंत्रण विभाग लगभग आधे ब्लड बैंको को सहयोग देता है। रक्त एकत्रीकरण जो वर्ष 2007 में 44 लाख यूनिट था वर्ष 2013 में दोगुना बढ़ गया है और 98 लाख यूनिट पहुंच गया है। स्वैच्छिक रक्तदान दिवस, 1 अक्टूबर, 2013 को एड्स नियंत्रण विभाग द्वारा स्नातकोत्तर चिकित्सीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (पीजीआईएमईआर), डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में एक सुग्राहीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का विषय था- "रक्त सुरक्षा-सभी को सुरक्षित रक्त"।

कार्यशाला में स्वैच्छिक रक्तदाताओं, दाता आयोजकों, और दिल्ली स्थित विभिन्न ब्लड बैंकों के प्रमुखों ने भाग लिया। इस कार्यशाला का लक्ष्य रक्तदाता के स्वैच्छिक रक्तदान के महत्व दाता चयन और प्रेरित करने के साथ-साथ सुरक्षित रक्त के प्रावधान हेतु स्वैच्छिक रक्तदान के लाभों के बारे में सुग्राही बनाना था। विशिष्ट प्रवक्ताओं ने वर्तमान समय में रक्त सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। प्रतिष्ठित विभागाध्यक्षों, डॉ. वीणा डोडा, ब्लड बैंक डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, डॉ. मनीषा श्रीवास्तव, रक्ताधान चिकित्सा, बीएमएचआरसी, भोपाल, डॉ. तुलिका चंद्रा, रक्ताधान चिकित्सा विभाग, केजीएमयू लखनऊ और डॉ. कबीता चैटर्जी, रक्ताधान चिकित्सा विभाग, एम्स, नई दिल्ली ने युवाओं को अपने अनुभव और अपेक्षाओं की जानकारी दी। सुग्राहीकरण कार्यशाला अत्यंत सफल रही और सुरक्षित रक्त पद्धतियों पर भागीदारों को जागरूक किया।

रक्ताधान सेवाएँ, एड्स नियंत्रण विभाग



स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के अवसर पर सचिव, एड्स नियंत्रण विभाग ने एड्स नियंत्रण विभाग के अधिकारियों के साथ रक्त दान किया

आईसीएपी- थाइलैंड में एड्स नियंत्रण विभाग द्वारा प्रस्तुतीकरण

एड्स नियंत्रण विभाग के अधिकारियों ने 11वीं इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ एड्स इन एशिया एंड दि पॅसिफिक में भारत के एचआईवी/एड्स मामलों, चुनौतियों और सफलताओं को विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया

एड्स नियंत्रण विभाग के अधिकारियों ने 11वीं इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ एड्स इन एशिया एंड दि पॅसिफिक में भारत के एचआईवी/एड्स मामलों, चुनौतियों और सफलताओं को विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया।

11वीं इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन एड्स इन एशिया एंड दि पॅसिफिक का आयोजन 18 से 22 नवम्बर, 2013 तक बैंकाक, थाइलैंड में किया गया था। 74 देशों के 3800 से अधिक प्रतिनिधियों ने इस कांग्रेस में भाग लिया। भारत से समुदायों, सिविल सोसाइटी संगठनों पीएलएचआईवी, राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटियों का प्रतिनिधित्व कर रहे 113 से अधिक प्रतिनिधियों और एड्स नियंत्रण विभाग के अधिकारियों ने इसमें भाग लिया। नीति नियामकों, समुदाय सदस्यों, मीडिया और सरकारी अधिकारियों ने कार्यक्रम में विचार-विमर्श किया, बहस की, वचन लिया, एचआईवी मामलों और चुनौतियों को प्रदर्शित किया तथा कलंक और भेदभाव के मुद्दों का निराकरण किया।

समापन समारोह के दौरान, एआरटी की कम कवरेज में सुधार करने, एचआईवी निवारण पहलों के संयोजन की मात्रा में वृद्धि का महत्व में वृद्धि करने एमएसएम में नए संक्रमणों में कमी लाने, शून्य कलंक और भेदभाव की स्थिति लाने के लिए कानूनी और नीतिपरक माहौल में सुधार करने, पर कार्रवाई करने का आह्वान किया गया।



डॉ नरेश गोयल, उपमहानिदेशक (एल एस) व संयुक्त निदेशक (आईसीसी), आईसीसीएपी, थाइलैंड में एड्स नियंत्रण विभाग का पोस्टर प्रस्तुत करते हुए



सुश्री आराधना जौहरी, अपर सचिव, एड्स नियंत्रण विभाग, आईसीसीएपी, थाइलैंड में लेख प्रस्तुत करते हुए

सुश्री आराधना जौहरी, अपर सचिव, एड्स नियंत्रण विभाग ने दक्षिण से दक्षिण गोलमेज बैठक के दौरान भारत का अनुभव साझा किया। एड्स नियंत्रण विभाग के कार्मिकों द्वारा प्रस्तुत किए गए कागजातों में शामिल हैं:-

- युवाओं को बहु प्रचार माध्यम कार्यक्रमों के माध्यम से जोड़ने का अनुभव - डॉ. संजीव के. चक्रवर्ती
- पीएलएचआईवी, विशेषकर हृदयवाहिका रोगों से जूझने वालों के गैर स्वास्थ्य जोखिम का प्रबंधन- डॉ. बी.बी. रिवाडी
- निवारण कार्यक्रमों विशेषकर चलन्त जनसंख्या के साथ, नई पहल जैसे ट्रांसजेन्डर जनसंख्या हेतु विस्तारण में भारत के अनुभव - डॉ. सुभाष घोष
- ए.एन.सी. केन्द्रों में एचआईवी परीक्षण के विस्तारण तथा भारत में एमसीएच के साथ सम्पर्क समेकित करने हेतु भौगोलिक प्राथमिकीकरण सम्बन्धी अनुभव - डा. रघुराम राव

टीआई-एड्स नियंत्रण विभाग



DAC Participants with other international delegates at ICAAP, Thailand

संसद सदस्यों द्वारा स्वैच्छिक एचआईवी परामर्श एवं परीक्षण तथा रक्तदान का समर्थन

मंत्रीगण और संसद सदस्य परामर्श एवं परीक्षण कराने तथा रक्तदान के लिए आगे आए

विश्व एड्स दिवस (1 दिसम्बर, 2013) के अवसर पर एड्स नियंत्रण विभाग (डीएसी) के तकनीकी सहायता सहित तथा यूएन एड्स एवं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के समर्थन से एचआईवी एवं एड्स पर संसद सदस्य फोरम द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में, राज्य सभा और लोक सभा से केन्द्रीय मंत्रीगण और संसद सदस्य स्वेच्छा से एक सचल आईसीटीसी (एकीकृत परामर्श एवं परीक्षण केन्द्र) इकाई, में एचआईवी के लिए परामर्श एवं परीक्षण कराने हेतु आगे आए, जिसकी व्यवस्था दिल्ली राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी ने की। इसके साथ-साथ संसद सदस्यों ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी को एक सचल वैन के माध्यम से रक्तदान किया। श्री बी पी सिंह, उपाध्यक्ष, नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एनवायकेएस) तथा श्री रोहित चौधरी, अध्यक्ष, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) ने भी अनेक युवा स्वयंसेवकों के साथ शिविर में भाग लिया।

इस सभा को श्री ऑस्कर फर्नांडिस, केन्द्रीय मंत्री, यातायात सड़क एवं राजमार्ग एवं अध्यक्ष एफपीए, श्री जे.डी. सीलम, वित्त राज्य मंत्री एवं महासचिव एफपीए, श्री कलीकेश सिंह देव, सांसद, ओडिसा तथा डॉ. सुनील डी. खापर्डे, उप महानिदेशक, एड्स नियंत्रण विभाग ने संबोधित किया। एफपीए को भेजे एक नोट में, भारत के लिए यूएन एड्स राष्ट्र समन्वयक श्री ओसामा

ताविल ने फोरम सदस्यों को बधाई दी और उनके नेतृत्व हेतु उनका धन्यवाद किया। “मुझे आशा है संसद सदस्यों द्वारा यह साहसी कार्य पूरे देश में एचआईवी के लिए स्वैच्छिक परामर्श एवं परीक्षण को और आगे बढ़ावा देगा”।

*आईईसी, एड्स नियंत्रण विभाग एवं नवनीत तेवतिया,
एचआईवी/एड्स पर संसद सदस्य फोरम*



श्री ऑस्कर फर्नांडिस और सांसद श्री शैलेंद्र कुमार रक्तदान कैंप में

एड्स नियंत्रण विभाग क्लब

एड्स नियंत्रण विभाग परिवार ने शास्त्रीय रागों पर गीत गाकर व फिल्मी गाने तथा भांगडा डांस करते हुए नववर्ष 2014 का स्वागत किया। सभी प्रभागों से स्टाफ ने बड़े उत्साह और सशक्त टीम भावना के साथ अंतर प्रभागीय प्रतियोगिता में भी सहभागिता की। सर्वश्रेष्ठ तीन प्रस्तुतियों को सचिव, एड्स नियंत्रण विभाग ने पुरस्कार प्रदान किए। प्रथम पुरस्कार बीटीएस टीम को कवितापाठ और गानों के लिए प्राप्त हुआ, द्वितीय पुरस्कार प्रशासन टीम के श्री एस.वी. वेक्टरामन ने बासुरी वादन के लिए जीता तथा तृतीय स्थान बांगडा डांस के लिए आईटी टीम के श्री तजिन्द्र सिंह ने प्राप्त किया।



एड्स नियंत्रण विभाग क्लब में नववर्ष समारोह के दौरान भांगडा डांस करते हुए

DAC Club

माता-पिता से बच्चे में उपदंश के संचरण के उन्मूलन पर परामर्श एड्स नियंत्रण विभाग द्वारा माता-पिता से बच्चे में उपदंश के संचरण के उन्मूलन के लिए एक कार्यनीति विकसित की गई है

एचआईवी सेंटनेल निगरानी (एचएसएस) 2010-11 के अनुसार, भारत में गर्भवती महिलाओं में उपदंश सीरम व्यासता 0.38 प्रतिशत रिपोर्ट की गई थी। एचएसएस और स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली (एचएमआईएस) डाटा का उपयोग करते हुए (विश्व स्वास्थ्य संगठन की आंकलन पद्धति का उपयोग करते हुए) यह अनुमान लगाया गया है कि गर्भवती महिलाओं में उपदंश का वार्षिक बोझ लगभग 1,02,806 है और मातृत्व उपदंश के कारण प्रतिकूल परिणाम 52595 है तथा जन्मजात उपदंश के मामले 16,144 हैं। भारत में मातृत्व उपदंश की अत्यंत कम व्यासता और न के बराबर जन्मजात उपदंश के मामले की रिपोर्ट पर विचार करते हुए, माता-पिता से बच्चे में उपदंश के संचरण का भारत में आसानी से उन्मूलन किया जा सकता है।

मातृक उपदंश के अनेक प्रतिकूल परिणाम होते हैं जैसे स्वतः गर्भपात, मृतजात जन्म, जन्म के समय कम वजन, नवजात उपदंश और नवजात शिशु मृत्यु भी। नवजात उपदंश एक गंभीर परंतु निरोध्य रोग है जिसका सभी गर्भवती महिलाओं की उपदंश हेतु प्रभावी जांच द्वारा तथा सभी संक्रमित व्यक्तियों, उनके साथियों और नवजात शिशुओं के उपचार के माध्यम से उन्मूलन किया जा सकता है।

एड्स नियंत्रण विभाग के अधीन एसटीआई/आरटीआई प्रभाग ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मातृ स्वास्थ्य प्रभाग के मूलभूत सेवाएं प्रभाग तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन/एसईएआरओ के साथ सहयोग से माता-पिता से बच्चे में उपदंश के संचरण के उन्मूलन की दिशा में एक कार्यनीति तैयार करने संबंधी पहल की थी। माता-पिता से बच्चे में उपदंश के संचरण के उन्मूलन सम्बंधी कार्यनीति विकसित करने हेतु नई दिल्ली में दिनांक 19-20 दिसम्बर, 2014 को राष्ट्रीय विशेषज्ञ परामर्शन का आयोजन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों, अनुसंधान संस्थानों, सिविल सोसाइटी, मेडिकल कॉलजों और विभिन्न कार्यक्षेत्रों से व्यवसायिक निकायों सहित भारत के विभिन्न राज्यों से कुल 43 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।



डॉ लोरी न्यूमैन, चिकित्सा अधिकारी, विश्व स्वास्थ्य संगठन मुख्यालय जिनेवा, जन्मजात उपदंश पर वैश्विक व क्षेत्रीय परिदृश्य पर प्रस्तुतिकरण देते हुए

विषय विशेषज्ञों ने अनुशंसा की कि स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों के सभी स्तरों पर उपदंश की जांच के लिए एक परिचर्या परीक्षण स्थल शुरू किया जाना आवश्यक है। यह भी अनुशंसा की गयी कि मातृक उपदंश के उपचार के लिए बेंजेथीन पेन्सीलिन पसंदीदा औषधि है और बेंजेथीन पेन्सीलिन के प्रति एलर्जिक पाए गए रोगियों के लिए एरिथ्रोमाइसिन एक वैकल्पिक दवा के रूप में उपयोग की जा सकती है। राज्य और जिला स्तरीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) एड्स नियंत्रण विभाग समितियों द्वारा जिला और उप जिला स्तरों पर अभिसरण प्रणाली को समेकित करने की आवश्यकता महसूस की गई। सेवाएं उपलब्ध कराने और रिपोर्ट करने के लिए (नैदानिक स्थापना अधिनियम लागू करना) निजी क्षेत्र को शामिल करने हेतु नीति में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। विशेषज्ञों ने यह भी सिफारिश की कि मातृक उपदंश की शीघ्र पहचान और उसके उपचार हेतु तथा माता-पिता से बच्चे में उपदंश के संचरण के सफल उन्मूलन के लिए एनएचएम को एचआईवी व उपदंश परीक्षण को अपेक्षित एएनसी पैकेज से अनिवार्य एएनसी पैकेज में बदल दिया जाना चाहिए।

एसटीआई टीम, डीएसी



दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला दिल्ली, 2013 में भाग लेने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ

एचआईवी को मुख्यधारा में लाने के लिए सहभागिता

एड्स नियंत्रण विभाग ने एचआईवी को मुख्यधारा में लाने के लिए पिछले छह माह के दौरान पांच मंत्रालयों के साथ सहभागिता की

एड्स नियंत्रण विभाग ने 29 नवम्बर, 2013 को युवा मामले मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस सहभागिता का उद्देश्य युवा विशेष एचआईवी सूचना और सेवाओं को एचआईवी संक्रमण के फैलाव को रोकना, विशेष वर्ग की युवा महिलाओं व



समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हुए: श्री राजीव गुसा (बाँय से 6ठे), सचिव, युवा मामले विभाग और श्री लव वर्मा, सचिव, एड्स नियंत्रण विभाग व युवा मामले और एड्स नियंत्रण विभाग के अन्य अधिकारीगण

प्रवासियों की असुरक्षा में कमी लाना और एचआईवी/एड्स के मामले के समाधान के लिए युवा मामले विभाग के नियंत्रणाधीन संस्थानों में नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और प्रशिक्षकों की क्षमता में वृद्धि करना है।

एड्स नियंत्रण विभाग ने खेल मंत्रालय के साथ 29 नवम्बर, 2013 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस सहभागिता का उद्देश्य खेल गतिविधियों में लिंग अधिक से अधिक युवाओं तक एसटीआई/ एचआईवी/एड्स निवारण एवं संबंधित सेवाओं पर सूचना के साथ पहुँच बनाना, “खेल के मैदान पर और बाहर एचआईवी संचरण के जोखिम को कम करना” विषय पर खेल शिक्षकों, प्रशासकों और कोचों का क्षमता निर्माण करना तथा राज्य/राष्ट्रीय कार्यक्रमों और खेल प्रतियोगिताओं के दौरान महत्वपूर्ण स्थानों और खेल के मूलभूत संरचना पर होर्डिंग और बैनरों के माध्यम से जागरूकता उत्पन्न करना है।



समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हुए: श्री अजित एम शरण, सचिव, खेल विभाग और श्री लव वर्मा, सचिव, एड्स नियंत्रण विभाग

एड्स नियंत्रण विभाग ने 5 दिसम्बर, 2013 को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। निर्धारित उद्देश्य श्रमिकों तक एचआईवी/एड्स पर सूचना सहित पहुँच बनाना तथा साथ ही प्रभाव अल्पकरण भी उपलब्ध कराना है।

continued...(page 14)



समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हुए : श्री विवेकराम, सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और श्री लव वर्मा, सचिव, एड्स नियंत्रण विभाग व पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और एड्स नियंत्रण विभाग के अन्य अधिकारीगण

आईडीयू के लिए ओपियोइड प्रतिस्थापना चिकित्सा का विस्तारण


आईडीयू के लिए एड्स नियंत्रण विभाग का ओएसटी का सहयोगात्मक मॉडल

वर्ष 2008 में, सूई से नशीली दवाओं का सेवन करने वालों (आईडीयू) के लिए क्षति अपचयन पैकेज में ओपियोइड प्रतिस्थापन चिकित्सा (ओएसटी) को एक अतिरिक्त घटक के रूप में शामिल किया गया था। ओपियोइड पर निर्भरता के लिए ओएसटी एक साक्ष्य आधारित उपचार है तथा यह आईडीयू में विशेषकर संक्रमित सूइयों को साझा करते हुए एचआईवी और अन्य रक्त से उत्पन्न रोगों के संचरण की रोकथाम में दवा संबंधित क्षतियों को कम करने के लिए सुस्थापित क्रियाकलाप भी है। तथापि, ओएसटी के लाभ केवल एचआईवी निवारण तक ही सीमित नहीं है बल्कि दवा सेवन से संबंधित अन्य क्षतियों, विशेषतः जब मनोसामाजिक क्रियाकलापों के साथ लिया जाए, में कमी लाता है।

विश्व स्तर पर प्रतिस्थापन उपचार कार्यक्रमों में दो मुख्य दवाओं बूपीनाफीन और मेथाडोन का उपयोग किया जाता है और दोनों ही दवाएं भारत में इस समय ओपियोइड निर्भरता के उपचार प्रबंधन में उपयोग के लिए उपलब्ध हैं। एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत, गैर सरकारी संगठन और सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र दोनों में बूपीनाफीन आधारित ओएसटी केन्द्रों की स्थापना की गई है।

...continued (page 15)

ओएसटी, रोगियों को शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्थिर करता है जिससे सही ढंग से सोचने की उनकी क्षमता में सुधार होता है और उन्हें पूर्ण स्वस्थता प्राप्त करने के लिए और समाज में पुनः शामिल होने के लिए अन्य जीवनशैली संबंधी परिवर्तनों अनुरूप ढालती हैं।



ओ एस टी केन्द्रों की संख्या और ओ एस टी कार्यक्रम के तहत रोगियों की कवरेज

...continued

11 दिसम्बर, 2013 को आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य सामूहिक पहल के माध्यम से आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय की आजीविका योजनाओं और कार्यक्रमों की बेहतर सुलभता द्वारा पीएलएचआईवी और प्रभावित जनसंख्या तक पहुंच बनाने के साथ-साथ शहरी रोजगार, गरीबी उन्मूलन एवं आवास हेतु मौजूदा योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से पीएलएचआईवी एवं अधिक प्रभावित जनसंख्या तक पहुंच बनाने के साथ-साथ शहरी रोजगार, गरीबी उन्मूलन एवं आवास हेतु मौजूदा योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से पीएलएचआईवी एवं अधिक संवेदनशील जनसंख्या (एमएआरपीएस) की सामाजिक सुरक्षा में सुधार करना है।



समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हुए : एयर मार्शल डी.पी. जोशी, महानिदेशक, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा और श्री लव वर्मा, सचिव, एड्स नियंत्रण विभाग



समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हुए : श्री अरूण कुमार मिश्रा, सचिव, आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय तथा श्री लव वर्मा, सचिव, एड्स नियंत्रण विभाग व डॉ नरेश गोयल, उपमहानिदेशक (एल एस) एवं सयुक्त निदेशक (आई ई सी) एड्स नियंत्रण विभाग

रक्षा मंत्रालय के साथ 18 फरवरी, 2014 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस सहभागिता का उद्देश्य जागरूकता फैलाना तथा एसटीआई/एचआईवी/एड्स और संबंधित सेवाओं की सूचना सहित अधिकाधिक रक्षा कार्मिकों तक पहुंचना, मौजूदा स्वास्थ्य संरचना में आईसीटीसी/एसटीआई/एचआईवी सेवाओं को एकीकृत करना तथा एचआईवी/एड्स के साथ रहे लोगों और अन्य प्रभावित समूहों के विरुद्ध सामाजिक कलंक और भेदभाव में कमी लाना है।

एमएस, आईईसी, एड्स नियंत्रण विभाग

...continued

गैर सरकारी संगठन प्रतिष्ठानों में ओएसटी कार्यान्वयन का एड्स नियंत्रण विभाग वर्ष 2008 से समर्थन कर रहा है। इस मॉडल में, पहले से आईडीयूटीआई परियोजना का क्रियान्वयन करने वाले और उपर्युक्त क्षति अपचयन सेवाओं का पैकेज उपलब्ध कराने वाले गैर सरकारी संगठनों द्वारा ओएसटी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। अतः इस मॉडल में, अधिकतर क्षति अपचयन सेवाएं समान सुविधा केन्द्र पर ही उपलब्ध होती हैं और ओएसटी को कुछ आईडीयू को उपलब्ध कराई जाने वाली एक अतिरिक्त सेवा के रूप में देखा जाता है। यह सेवाएं ओएसटी में प्रशिक्षित एक अंशकालिक डॉक्टर सहित आईडीयूटीआई के मौजूदा स्टाफ द्वारा प्रदान की जाती हैं। निगरानी के अधीन दवा प्रदान करने के लिए, टीआई को एक अतिरिक्त नर्स उपलब्ध कराई जाती है। रोगियों को दवाएं एक योग्य और प्रशिक्षित नर्स की देखरेख में सीधे दैनिक आधार पर दी जाती हैं।

वर्ष 2010 में, एड्स नियंत्रण विभाग ने आईडीयू के लिए लक्षित क्रियाकलापों को चलाने वाले सरकारी अस्पतालों और गैर सरकारी संगठनों के बीच समझौते पर आधारित ओएसटी प्रदानगरी के एक सहयोगात्मक माडल का नेतृत्व किया। इस मॉडल में, ओएसटी केन्द्र किसी सरकारी स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्र (मेडिकल कालेज अस्पताल, जिला अस्पताल, सीएचसी, आदि) में स्थित होता है और इसका कार्य प्रतिस्थापन उपचार का नैदानिक मूल्यांकन, निदान, नुसखा देना और दवाएं प्रदान करना है। इनमें से प्रत्येक ओएसटी केन्द्र नजदीकी आईडीयू टीआई से जुड़ा होता है जो परियोजना क्षेत्र में आईडीयू रोगियों को प्रोत्साहित करते हुए सेवाओं को सुलभ बनाता है और उन्हें उपचार के लिए केन्द्र को भेजता है। इसके साथ-साथ लिंग आईडीयू टीआई उपचार को बीच में छोड़ देने वाले रोगियों का अनुवर्तन करते हैं और ओएसटी कार्यक्रम के लिए समर्थन जुटाने के लिए स्थानीय हितधारकों के साथ नियमित हिमायत करता है।

फरवरी, 2013 तक, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम देश भर में 15000 से अधिक आईडीयू की कुल ओएसटी कवरेज सहित 29 राज्य/जिला एड्स नियंत्रण सोसाइटियों (एसएसीएस/डीएसीएस) में 100 जिलों में 150 से अधिक ओएसटी केन्द्रों का समर्थन कर रहा है। इसके अतिरिक्त, चुनिंदा जिलों में अन्य 105 ओएसटी केन्द्रों के लिए पहचान, मूल्यांकन कार्य पूरा कर लिया गया है। अनुमान है कि वर्ष 2014-15 के अंत तक 300 से अधिक केन्द्र कार्य करना और 30000 से अधिक आईडीयू के लिए ओएसटी सेवाएं देना शुरू कर देंगे।

राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटियों (एसएसीएस) तकनीकी सहयोग इकाईयाँ (टीएसयू) तथा एड्स नियंत्रण विभाग के अधिकारी भी ओएसटी केन्द्रों की नियमित रूप से निगरानी और पर्यवेक्षण करते हैं। गैर सरकारी संगठनों को आईडीयू टीआई के रूप में अपने कार्य करने की पद्धति के अर्धवार्षिक बाह्य मूल्यांकन के लिए एड्स नियंत्रण विभाग द्वारा विकसित मानकीकृत उपकरण से गुजरना होता है।

एड्स नियंत्रण विभाग द्वारा ओएसटी केन्द्रों के लिए क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन और स्टैण्डर्ड आपरेटिंग प्रोसीज़र भी विकसित किया गया है।

इसके साथ-साथ, गैर सरकारी संगठन ओएसटी केन्द्रों को दो वर्ष में एक बार एक बाह्य एजेंसी (राष्ट्रीय अस्पताल एवं स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाता प्रत्यायन बोर्ड) द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है।

टीआई, एड्स नियंत्रण विभाग



ओ एस टी सेवाओं की सुगमता हेतु आई डी यू को प्रेरित करने के लिए सचित्र संचार सामग्री

एचआईवी संवेदी सामाजिक सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

एड्स नियंत्रण विभाग ने आर्थिक और सामाजिक व्यथा से सुरक्षा के लिए एच आई वी संवेदी सामाजिक सुरक्षा उपायों पर एक सम्मेलन का आयोजन किया

एड्स नियंत्रण विभाग (डीएसी), भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा एक दो-दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया।

श्री लव वर्मा, सचिव, एड्स नियंत्रण विभाग ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा: "जब हम राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का चौथा चरण प्रारंभ करने जा रहे तो मुख्यधारा में शामिल करने और सामाजिक सुरक्षा कार्यनीति की प्राथमिकता जारी रहेंगी। कार्यक्रम की एक बहुआयामी कार्यनीति है जिसमें शामिल है : समर्थन, सशक्त नेतृत्व, बहुक्षेत्रीय सहभागिता, प्रति-संवेदी नीति और सहयोगात्मक कानूनी माहौल तथा अल्पसेवित जनसंख्या के लिए सेवाओं का निरंतर विस्तारण। "उन्होंने यह भी कहा कि व्याप्त दर में कमी लाने के परिणामस्वरूप भारत एक वैश्विक सफलता की कहानी है।"

श्री ओसामा वाविल, यू एन एड्स राष्ट्रीय समन्वक ने कहा: "भारत में हमने समुदाय सम्मिलन के महत्वपूर्ण लक्ष्य प्राप्त किए हैं: तथापि, सहयोगात्मक वैधानिक संशोधन जैसे गतिरोध, विकास की प्रक्रिया में रूकावट डाल रहे हैं।"

सुश्री अलका नारंग, सहायक राष्ट्रीय निदेशक यू एन डी पी, भारत ने कहा कि, "यह सम्मेलन एक ऐसा महत्वपूर्ण मोड़ है जो इस विषय पर भारत की स्थिति अर्थात एच आई वी एड्स तथा सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में भारत अग्रणी है, को दोहराता है।"



पैनल में गणमान्य (बाएँ से दायें): सुश्री दाक्षा पटेल, श्री लव वर्मा, श्री ओसामा ताविल और सुश्री अलका नारंग

सोमालिया में जिबूटी से, अल्जीरिया, डोमिनिकन रिपब्लिक, तथा मिस्र से आए 200 से अधिक सहभागियों अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने स्वागत सत्र में भाग लिया। श्री ब्रायन लुट्स, नीति विशेषज्ञ, एड्स एवं एमडीजी, यूएनडीपी (न्यूर्याक) ने प्रस्तुतीकरण दिया, जिन्होंने सामाजिक सुरक्षा के कार्य क्षेत्र की परिभाषा दी, जबकि डॉ महीपाल, निदेशक (पीएडपी) ग्रामीण विकास विभाग ने ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में एचआईवी/एड्स तथा सामाजिक सुरक्षा के संबोधन में योजनाओं के बारे में बताया। एचआईवी/एड्स के साथ रह रहे लोगों के भारतीय तंत्र के श्री के के अब्राहम तथा सुश्री पुष्पलता आर, सचिव, स्वास्थ्य महिला संघ के कलंक और भेदभाव के मामले पर भाषण दिया। श्री लंका, कंबोडिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया से आए प्रतिनिधियों ने अपने अपने देश में एचआईवी संवेदी सामाजिक सुरक्षा की दिशा में उनके द्वारा किए जा रहे कर्मों पर प्रस्तुतीकरण दिया।

एमएस,आईईसी - एड्स नियंत्रण विभाग

ट्रांसजेंडर और हिजड़ा क्रियाकलापों का विस्तारण

एड्स नियंत्रण विभाग ने ट्रांसजेंडरों और हिजड़ा आबादियों हेतु आवश्यकता आधारित क्रियाकलापों पर एशिया - प्रशान्त क्षेत्र की पहली कार्यशाला की मेजबानी की

एड्स नियंत्रण विभाग ने यूएनडीपी की सहभागिता से 5-6 दिसंबर, 2013 को भारत में ट्रांसजेंडर (टीजी) तथा हिजड़ा क्रियाकलापों के विस्तारण हेतु रोड मैप तैयार करने के लिए प्रथम राष्ट्रीय कार्यशाला की मेजबानी की।



ट्रांसजेंडर और हिजड़ा क्रियाकलापों में विस्तारण के लिए कार्यशाला में दर्शकगण

भारत और एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपनी तरह के इस पहली कार्यशाला ने वरीय आवश्यक आधारित क्रियाकलाप विकसित करने और ट्रांसजेंडर जनसंख्या के मानचित्रण और आंकलन प्रयोग करने में भारत को अग्रणी के रूप में प्रस्तुत करने के लिए ट्रांसजेंडरों और हिजड़ों पर आंकलन और जानपदिक रोग विज्ञान पर महत्वपूर्ण सामरिक महत्व की सूचना का आदान-प्रदान किया। श्री लव वर्मा, सचिव, एड्स नियंत्रण विभाग ने कार्यशाला की अध्यक्षता की तथा एड्स नियंत्रण विभाग के उच्चाधिकारियों, संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों, परियोजना निदेशको तथा राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटियों के प्रतिनिधियों, विकास भागीदारों और सामुदायिक सदस्यों ने इसमें भाग लिया। 200 से अधिक लोगों की इस सभा को संबोधित करते हुए, इस कार्यशाला में ट्रांसजेंडरों/ हिजड़ों के लिए मंच तैयार करने में एड्स नियंत्रण विभाग की नेतृत्व भूमिका का प्रदर्शन किया गया।

एड्स नियंत्रण विभाग ने 17 चयनित राज्यों में एनएसीपी द्वारा अधिकृत राष्ट्र स्तरीय मानचित्रण और आकार आंकलन प्रयोग में, अत्यधिक जोखिम जनसंख्या समूह के रूप में ट्रांसजेंडर और हिजड़ों के साथ कार्य करने को प्राथमिकता दी है।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसी एम आर) और आई एम आर बी ने अत्यावश्यक मानचित्रण अध्ययन को एकत्रित करना संभव किया तथा उससे अनेक मूल्यवान निष्कर्ष निकाले, जिसके समुदाय के कल्याण हेतु अनेक निहितार्थ होंगे।

महत्वपूर्ण ज्ञान उत्पादों पर तकनीकी प्रस्तुतीकरण, पहचान पर ट्रांसजेंडर कानूनी संक्षिप्त विवरण पर चर्चा, सामाजिक सुरक्षा पत्र, टीजीडब्ल्यूबी प्रलेखन, जनसभाओं ने अमूल्य जानकारी प्रदान की तथा मुख्य सहभागियों को समस्या की भयावहता से सुग्राही बनाया। मानचित्रण के परिणाम आगे की राह आसान करेंगे तथा निवारण प्रयासों को बढ़ाने के लिए इस लक्षित समूह की नीतिगत कवरेज एवं संतुष्टि और वार्षिक कार्ययोजना के भाग बनेंगे।

एड्स नियंत्रण विभाग के लक्षित क्रियाकलाप (टी आई) दल द्वारा प्रारूप प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों को साझा किया जाना कार्यशाला की विशिष्टता में से एक थी। इसके परिणामस्वरूप टीजीटीआई का कार्यान्वयन करने वाले गैर सरकारी संगठनों और सीबीओ की तकनीकी, संगठनात्मक व नेतृत्व क्षमता बेहतर हुई।

दो दिवसीय कार्यशाला के मुख्य विषय रहे - ट्रांसजेंडर व हिजड़ा जनसंख्या तक कैसे पहुंचा जाए, उनकी भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जाए, कानूनी परिप्रेक्ष्य में सशक्तीकरण, अनाभिगम्यता या सेवा गुणवत्ता व नीतियों के मामलों का कैसे समाधान किया जाए। एड्स नियंत्रण विभाग की प्रमुख प्राथमिकता है - परियोजनाओं में सामुदायिक स्वामित्व सुनिश्चित करना और अधिक ट्रांसजेंडर/हिजड़ा जनसंख्या वाले क्षेत्रों के साथ साथ उन क्षेत्रों में जहां उनकी जनसंख्या काफी कम है, वहां क्रियाकलाप कार्यक्रमों में विस्तार करना। समुदाय द्वारा झेली जा रही समस्याओं का समाधान करना उन पर कार्यवाही हेतु व्यवहार्य योजनाएं तैयार करना, आंकड़े समर्पित साक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण पूर्वापेक्षाएं हैं।

कार्यशाला का समापन इस निष्कर्ष के साथ हुआ कि एड्स नियंत्रण विभाग व राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटियों, सी एस ओ और समुदाय मिलजुलकर एच आई वी निवारण सेवाओं के साथ ट्रांसजेंडर व हिजड़ा जनसंख्या तक पहुंच बनाएंगे।

टीआई-एड्स नियंत्रण विभाग एवं यूएनडीपी



कार्यशाला के दौरान कार्यनीति दस्तावेज जारी करते हुए (बाएं से दाएं) - श्री लव वर्मा, सुश्री लाइस गांडे, श्री विवेकानंदन, परियोजना निदेशक, टानसैक्स

एड्स नियंत्रण विभाग द्वारा रोग नियंत्रण केन्द्रों (सी डी सी) की सहभागिता में एक समूह (कोहोर्ट) विश्लेषण कार्यशाला का आयोजन किया गया

एड्स नियंत्रण विभाग ने रोग नियंत्रण एवं निवारण केन्द्रों (सी डी सी), यूनिवर्सिटी ऑफ कैलीफोर्निया सेन फ्रांसिस्को (यू सी एस एफ) और विश्व स्वास्थ्य संगठन के भारत स्थित कार्यालय की सहभागिता में मार्च 25-28, 2014 को नई दिल्ली में एक समूह विश्लेषण कार्यशाला का आयोजन किया।

कार्यशाला का उद्देश्य उपचार परिणामों के अनुसार एच आई वी उपचार सेवाओं की गुणवत्ता के मूल्यांकन पर उत्कृष्टता केन्द्रों के क्षेत्रीय समन्वयकों और अनुसंधान अधिकारियों का क्षमता का निर्माण करना, मुख्य चुनौतियों पर प्रकाश डालना और समूह डेटा के उपयोग के माध्यम से रोगियों के समूहों के बीच और समय के साथ तुलनात्मक अध्ययन करना है।

अपने उद्घाटन भाषण में डॉ. ए. एस. राठौर, उपमहानिदेशक (सीएसटी) ने सीएसटी कार्यक्रम और संभावित परिणामों पर विस्तृत अभिमत प्रस्तुत किया जबकि डॉ. वी. के. सुब्बुराज, सचिव, एड्स नियंत्रण विभाग ने एआरटी केन्द्रों पर प्रदान की जाने वाली परिचर्या की गुणवत्ता की निरंतर निगरानी की आवश्यकता पर बल दिया। अन्य विशिष्ट वक्ताओं में डॉ. पोलीन हार्वे (सी डी सी, भारत) डॉ. अशीना खलकदीना (विश्व स्वास्थ्य संगठन), डॉ. एस. वेंकटेश, उपमहानिदेशक (एम एंड ई) और डॉ. बी. बी. रेवाड़ी, एनपीओ (एआरटी) एड्स नियंत्रण विभाग ने प्रमुख सूचकों के निरीक्षण के बारे में भाषण दिया, जिनकी इन कार्यस्थलों पर सेवाओं का लाभ ले रहे रोगियों के परिणामों पर निरंतर गुणवत्ता जांच के लिए निगरानी की आवश्यकता है।

सीडीसी, एटलांटा और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलीफोर्निया, लॉस एंजेलिस के विशेषज्ञों द्वारा मुख्य रूप से आयोजित यह कार्यशाला रोगी-आधारित समूह विश्लेषण के निष्पादन पर किए जाने वाले कार्यक्रम मूल्यांकनों पर केन्द्रित थी।

कार्यशाला के अंत में, सी ओ ई के सभी सहभागियों, एड्स नियंत्रण विभाग के कार्यक्रम निदेशकों, उप कार्यक्रम निदेशकों, अनुसंधान अधिकारियों, क्षेत्रीय समन्वयकों और तकनीकी अधिकारियों को निम्नलिखित क्रियान्वित करने का प्रशिक्षण दिया गया-

- ए आर टी निगरानी और मूल्यांकन पर समूह (कोहोर्ट) की संकल्पना
- नियमित कार्यक्रम निगरानी के माध्यम से एकत्रित समूह डेटा को व्यवस्थित करना
- एच आई वी परिचर्या और उपचार कार्यक्रम के लिए मुख्य गुणवत्ता सूचकों की गणना करना
- एच आई वी कार्यक्रम निगरानी हेतु क्षमता वृद्धि के लिए समूह डेटा की व्याख्या करना
- हितधारकों को समूह सूचना की जानकारी देना

डॉ. रेशू अग्रवाल, पीओ (सी एस टी) एड्स नियंत्रण विभाग ने चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्त में प्रशिक्षित मास्टर प्रशिक्षकों के साथ देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की रूपरेखा तैयारी की जानकारी दी।

डॉ. बी. बी. रेवाड़ी, एनपीओ (सीएसटी)- एड्स नियंत्रण विभाग



राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ जिन्होंने दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में भाग लिया

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के साथ समाभिरूपता

पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कार्यालय (एनईआरओ) ने भारत के 8 पूर्वोत्तर राज्यों में एनएसीपी और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बीच समाभिरूपता पर परामर्श की मेजबानी की

भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में विषम परिस्थितियां हैं। भारत सरकार के माध्यम से विभिन्न शीर्ष कार्यक्रमों के तहत इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या सेवा प्रदानगी में बाधा आती है। इन 8 राज्यों में से सात राज्यों में ये बाधाएं व विषम परिस्थितियां हैं। इनमें पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्र, सीमित संसाधन, सीमित सड़क-रेल-वायु संपर्क और पांच देशों (नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार व बांगलादेश) के साथ लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। जब सभी 8 उत्तरपूर्वी राज्यों के उप जिला स्तरों पर सेवा प्रदानगी प्रक्रिया को मुख्यधारा में लाने के प्रयास होते हैं राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एनएपीसी) और राज्यों की सामान्य स्वास्थ्य प्रणाली के मध्य समाभिरूपता में भी चुनौतियां आती हैं। इन चुनौतियों के समाधान के प्रयासों में 5 फरवरी, 2014 को भारतीय उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कार्यक्रम में क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र उत्तर पूर्वी राज्य (आरआरसी-एनईएस) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के समन्वय से 8 उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए एनएसीपी और एनएचएम के मध्य समाभिरूपता पर चर्चा आयोजित की गई थी। जब वर्ष 2014-15 के लिए संबंधित राज्यों के पीआईपी और एएपी के क्रियाकलाप की तैयारी की गई थी तब इसका उद्देश्य योजना प्रक्रिया और क्रियान्वित पश्चात कार्यनीति को मुख्य धारा में लाना था।



क्षेत्रीय परामर्श में 8 पूर्वोत्तर राज्यों के सदस्य

राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटियों के एनएसीपी क्षेत्रीय परामर्श में 8 उत्तर पूर्वी राज्यों के सदस्य एनएचएम समाभिरूपता हेतु केन्द्रीय व्यक्तियों और राज्य एनएचएम के सभी उत्तरपूर्वी राज्यों अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर, आरआरसी-एनईएस, एड्स नियंत्रण विभाग के वरिष्ठ कर्मिकों और एनईआरओ ने बैठक में भाग लिया। डॉ. दिनेश बसवाल, उपायुक्त मातृ स्वास्थ्य, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने बैठक की अध्यक्षता की। चर्चा का परिणाम यह निकलकर आया कि एसएसीएस और 8 उत्तरपूर्वी राज्यों के एनएचएम के सभी केन्द्रीय व्यक्ति समाभिरूपता के प्रति जागरूक हुए और कुछ संयुक्त कार्रवाई क्षेत्रों का निरूपण और समाधान किया गया।

एसटीआई- एड्स नियंत्रण विभाग

क्षमता निर्माण कार्यशाला में आईईसी दल



सत्र में भाग ले रहे आईईसी और आईएचबीसी दल के सहभागी

आईएचबीसी की सहायता से जनवरी, 2014 में आयोजित क्षमता निर्माण कार्यशाला में आईईसी प्रभाग के तहत समस्त स्टाफ ने भाग लिया। सचिव, एड्स नियंत्रण विभाग ने कार्यशाला का उद्घाटन किया।

यह कार्यशाला चीफ ऑफ पार्टी, आईएचबीपी द्वारा स्वास्थ्य संचार में अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को आपस में साझा करने पर केन्द्रित थी। साथ ही इसमें एचआईवी/एड्स तथा स्वास्थ्य संचार पर अधिकतम प्रभाव हेतु संसाधनों के दोहन की आवश्यकता और प्रबंधन पर सत्र भी शामिल थे। विदाई सत्र के दौरान, सचिव और संयुक्त निदेशक (आईईसी), डीएसी ने कुछ बहुमूल्य सलाहकारी बिंदु रखे जिन पर दल ने आईईसी कार्यनीतियों में वृद्धि करने के लिए कार्य शुरू कर दिया है।

राष्ट्रीय समन्वयक, एनएचसीआरएससी (आईईसी)- एड्स नियंत्रण विभाग

निःशुल्क कंडोम आपूर्ति में अंतराल के आंकलन सम्बन्धी अध्ययन

कंडोम प्रचार के तकनीकी समूह ने कंडोम स्थिति अध्ययन किया जिसमें एसएसीएड अर्थात् लक्षित क्रियाकलाप से जुड़े गैर सरकारी संगठनों से साथी शिक्षकों और साथी शिक्षकों से उच्च जोखिम समूहों में निःशुल्क कंडोम की आपूर्ति और वितरण में भावी स्थिति का मूल्यांकन किया गया।


अध्ययन वाले आठ राज्यों उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा से लक्षित क्रियाकलाप से जुड़े गैर सरकारी संगठनों का सर्वेक्षण किया गया। उच्च जोखिम समूहों के सैम्पल पर एक माह तक निगरानी रखी गयी, तथा पिछले दिन के कंडोम उपयोग सहयोगी शिक्षण माध्यम से ध्यान रखने की अवधि में निःशुल्क कंडोम उपलब्धता की संख्या और निर्धारित निःशुल्क कंडोम की बर्बादी के विवरण की जानकारी प्राप्त की गयी। एसएसीएस के अधिकारियों और लक्षित क्रियाकलाप स्तर पर आपूर्ति व वितरण के बारे में उनकी राय और नजरिए जानने के लिए उनके विस्तृत साक्षात्कार किए गए।

अध्ययन के निष्कर्षों से यह सामने आया कि अध्ययन वाले सभी राज्यों में एसएसीएस के लक्षित क्रियाकलापों की ओर से निःशुल्क कंडोम आपूर्ति और वितरण में कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। अध्ययन से यह पता लगा कि निःशुल्क कंडोम आपूर्ति संबंधी मांग का आंकलन निर्धारित दिशानिर्देश अनुसार था। अति-जोखिमपूर्ण वर्ग को शामिल करते हुए तथा शामिल जनसंख्या, सेक्सुअल एनकाउंटर, सामाजिक विपणन द्वारा वितरित किए जा रहे कंडोमों और ग्राहकों द्वारा लिए कंडोमों को भी आंकलन में शामिल किया गया था।

निगरानी अवधि में अतिजोखिमपूर्ण वर्ग द्वारा सेक्सुअल एनकाउंटर के आधार पर यह पाया गया कि सहयोगी शिक्षकों के नेटवर्क के माध्यम से प्राप्त कुल कंडोम में से 98 प्रतिशत कंडोम को उपयोग में लिया गया। गोवा में उच्च (100 प्रतिशत) और असम में निम्नतम (95 प्रतिशत) कंडोम का उपयोग हुआ था।

तकनीकी सहयोग समूह वर्तमान स्थिति को सुधारने का निरंतर प्रयास करना होगा ताकि समस्त संभव स्तरों पर कंडोम बर्बादी को कम किया जा सके।

कंडोम टीएसजी - एड्स नियंत्रण विभाग



निःशुल्क कंडोम उपयोग (प्रतिशत में)

वृत्तान्त अध्ययन

भारत में एच आई वी के साथ रह रहे लोगों के विरुद्ध भेदभाव समाप्त करना

13 वर्षीय प्रशांत (परिवर्तित नाम) जम्मू के कठुआ जिले से है। उसके एच आई वी पोजीटिव स्थिति के बारे में जब स्कूल को जानकारी मिली, तो उसके अध्यापकों ने उसका मजाक उड़ाया और उसके साथियों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। उसके बड़े भाई को भी नहीं छोड़ा। उसकी माँ ने स्कूल अधिकारियों से कई बार बात की, परंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकला। तब उन्होंने जिला स्तर पर क्षेत्रीय परिचर्या एवं सहायता केन्द्र (सी एस सी) द्वारा स्थापित भेदभाव प्रतिक्रिया दल (डी आर टी) से संपर्क किया, जो एच आई वी के साथ रह रहे लोगों को मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करता है और उनकी ओर से वकालत करता है। इस मामले में, डी आर टी तुरंत सरपंच से मिला और दोनों साथ मिलकर स्कूल अधिकारियों के पास पहुंचे तथा उन्हें भेदभाव न करने के लिए प्रोत्साहित किया। कई बार विचार-विमर्श के पश्चात अधिकारियों के संदेह दूर हो गए और लड़कों के प्रति निष्पक्ष रहने प्रतिवद्धता व्यक्त की। प्रशान्त कहते हैं, "मैं स्कूल में वापिस आकर खुश हूँ। हालांकि मुझे मेरे अध्यापकों और साथियों के व्यवहार में परिवर्तन नजर आता है, परंतु मुझे फिर से सामंजस्य बिठाने में समय लगेगा।" भेदभाव एचआईवी के साथ रह रहे लोगों को उनकी प्रतिष्ठा और सम्मान से वंचित करता है और परिणामस्वरूप उनके आत्मविश्वास तथा प्रेरणा में कमी आती है। इसके सभी एच आई वी - संबंधित सेवाओं पर गहन निहितार्थ हैं और एच आई वी हेतु परीक्षण कराने की लोगों की सहमति, उनकी एच आई वी स्थिति प्रकट करने, सुरक्षित यौन संबंध अपनाने तथा स्वास्थ्य परिचर्या की सुलभता को कम करते हैं ।



एचआईवी के साथ रह रहे लोगों को शिक्षा के समान अधिकार है

सीएसटी- एड्स नियंत्रण विभाग तथा विज्ञान- भारत एचआईवी/एड्स गठबंधन



स्वैच्छिक रक्तदान

उत्तराखण्ड राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी ने सूचना, शिक्षा और संप्रेषण कार्यकलापों जैसे प्रेरणात्मक वार्ता, रक्तदान शिविरों स्वैच्छिक रक्त संग्रहण बढ़ावा देने के लिए रैलियों और सम्मेलनों का आयोजन किया

उत्तराखण्ड एसएसीएस ने 1 अक्टूबर, 2013 को स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया। समारोह में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर, रैलियां और सम्मेलन शामिल थे। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न स्थानीय संस्थानों और सिविल सोसाइटियों से स्वैच्छिक रक्तदान संग्रहण को बढ़ाना था। नियमित रक्तदाताओं को राज्य स्तरीय समारोह में सम्मानित किया गया। उत्तराखण्ड के माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने अभियान विषय को "स्वैच्छिक रक्तदान में कोई हानि नहीं है किंतु यह किसी का जीवन बचाएगा" शीर्षक देते हुए

सुश्री उमा प्रकाश, संयुक्त निदेशक (सूचना, शिक्षा व संप्रेषण)



स्वैच्छिक रक्तदान दिवस पर रक्तदाताओं के साथ उत्तराखण्ड राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी के अधिकारी

वडोदरा में विश्व एड्स दिवस, 2013

गुजरात राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी ने वडोदरा के युवा प्रतिभागियों के साथ विश्व एड्स दिवस मनाया

गुजरात राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी ने वडोदरा नगर निगम के सहयोग से 1 दिसम्बर, 2013 को वडोदरा में राज्य स्तर पर विश्व एड्स दिवस मनाया। जिसमें रैली की शुरुआत को हरीझंडी दी गयी और इसमें आशा और एएनएम कार्यकर्ताओं, जिला स्वास्थ्य विभागों के अधिकारियों, स्थानीय गैर सरकारी संगठनों और अन्य स्टेकहोल्डरों सहित 1500 से अधिक व्यक्ति शामिल थे। प्रतिभागियों में 90 महिलाएं थी। डीएपीसीयू कार्मिकों के दल ने आईसीटीसी, पीपीटीसीटी और एसटीआई केन्द्रों पर एचआईवी निवारण और सेवा उपलब्धता पर नाटक का मंचन किया।

श्री हेमंत शुक्ला, संयुक्त निदेशक (आईसीसी)



गुजरात राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी विश्व एड्स दिवस मनाते हुए



विश्व एड्स दिवस समारोह में सहभागी

सचिव, एड्स नियंत्रण विभाग ने जनवरी, 2014 को पुडुचेरी का दौरा किया

पुडुचेरी



सचिव, एड्स नियंत्रण विभाग; परियोजना निदेशक, पुडुचेरी एड्स नियंत्रण सोसाइटी व अन्य अधिकारीगण

एनएसीपी-IV के अंतर्गत राष्ट्रीय डेटा विश्लेषण योजना (एनडीएपी) की शुरुआत एड्स नियंत्रण विभाग में डेटा विश्लेषण और प्रसार इकाई द्वारा की गयी थी। इस योजना की शुरुआत कार्यक्रम के तहत अधिक संख्या में सृजित आंकड़ों का विश्लेषण तथा साक्ष्य आधारित नियोजन और कार्यक्रम प्रबंधन की सहायता हेतु विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार करने की दृष्टि से की गई थी। देश के विभिन्न अनुसंधान संस्थानों, मेडिकल कॉलेजों, राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटियों से विश्लेषकों और अनुभवी परामर्शदाताओं का चयन कर लिया गया है। एनडीएपी के प्रमोचन और सभी विश्लेषकों व अनुभवी परामर्शदाताओं को एक साथ एक प्लेटफार्म पर लाने के लिए 16-18 जनवरी, 2014 के दौरान जीपमेर, पुडुचेरी में कार्यशाला आयोजित की गई थी। सचिव, एड्स नियंत्रण विभाग ने विशिष्ट अतिथियों के साथ विदाई समारोह को सुशोभित किया। दौरे के दौरान सचिव ने एमएसएम तथा टीआई एनजीओ से बातचीत की और राज्य संदर्भ प्रायोगशाला



स्वैच्छिक रक्तदान दिवस पर रक्तदाताओं के साथ यूएसएसीएस

(एसआरएल), आईसीटीसी एण्ड लिंक एआरटी केन्द्र और मॉडल ब्लड बैंकों का भी दौरा किया।

एम एंड ई एड्स नियंत्रण विभाग व आईईसी - पुडुचेरी एड्स नियंत्रण सोसाइटी

असम राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया

गुवाहाटी में 250 लडकियों ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया

असम राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी ने विभिन्न रेड रिबन क्लबों की 250 लडकियों के साथ गुवाहाटी में 8 मार्च, 2014 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। परियोजना निदेशक श्री एस के राय ने "महिला समानता, सबकी प्रगति" विषय पर वक्तव्य दिया। प्रसिद्ध लेखक श्रीमती निरुपम वोरगोहेन, विख्यात महिला अधिकार कार्यकर्ता डॉ. आकाशितोरा, इंडियन नेटवर्क ऑफ पोसिटिव पीपुल (आईएनपी+) के अध्यक्ष जान्हवी गोस्वामी, आयुक्त व सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और स्वप्निल बरुआ ने इस अवसर पर वक्तव्य दिया।

आईईसी - असम



असम राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह पर प्रसिद्ध वक्तागण

एड्स नियंत्रण विभाग परिवार में आपका स्वागत है

अक्टूबर 2014 से मार्च 2014

Welcome

अक्टूबर '13

1st सुश्री ऋचा पाठक,
टी ओ (आई ई सी)

4th श्री अनिल भोला,
पी ओ (एस टी आई)

24th सुश्री स्मिता,
टी ओ (क्यू सी)

4th सुश्री शानू मिश्रा,
पी ओ (क्यू सी)

नवंबर '13

5th सुश्री एच मानगाही,
किम, टी ओ (आईडीयू)

12th डॉ. राजेश देशमुख,
पीओ (एचआईवी/टीबी)

28th प्रवीन कुमार,
कनिष्ठ अनुवादक (राजभाषा)

दिसंबर '13

2nd श्री हरप्रीत सिंह,
एनपीओ (रक्ताधान सेवाएँ)

2nd डॉ. शिखा हांडा,
टीओ (एलएस)

12th डॉ. रजत राणा,
टीओ (सीएसटी)

जनवरी '14

3rd श्री अर्चित कुमार सिन्हा,
टीओ (आरसीसी)

3rd श्री रवि भूषण,
संसाधन अधिकारी (आईईसी)

17th डॉ. महेश मेत्रे,
टीओ (सीएसटी)

22nd सुश्री सुरभि मिश्रा,
संग्रह प्रबंधक

27th श्री सुखवीर सिंह,
उच्च श्रेणी लिपिक (राजभाषा)

नवंबर '13

1st डॉ. वी. के. सुब्बुराज,
सचिव

11th श्री के. बी. अग्रवाल,
संयुक्त सचिव

14th सुश्री लक्ष्मी श्रीपदा,
विशेषज्ञ ज्ञान स्थानांतरण

आगामी कार्यक्रम सूची

- 1 20 वॉ अंतर्राष्ट्रीय एड्स सम्मेलन, एड्स एंड एचआईवी मेडिकल कांग्रेस, ऑस्ट्रेलिया, मेलबोर्न: 20-25 जुलाई, 2014
- 2 एंटी रेट्रोवायरल (एआरवी) मेडिसिन की खरीद और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पर हितधारकों का परामर्श, मई 2014
- 3 यू के सांसदों के दल का एड्स नियंत्रण विभाग का दौरा - अप्रैल 2014
- 4 एस 2 एस के तहत घाना और अंगोला के प्रतिनिधियों का एड्स नियंत्रण विभाग का दौरा- अप्रैल 2014
- 5 एस 2 एस के तहत जांजीबार के प्रतिनिधियों का एड्स नियंत्रण विभाग का दौरा - मई 2014



-
- मुख्य संपादक** : डॉ० वी० के० सुबबुरज, सचिव, एड्स नियंत्रण विभाग (डी ए सी)
- संपादक** : डॉ० नरेश गोयल, उप महानिदेशक (एल एस) और संयुक्त निदेशक (आई ई सी)
- संपादक मण्डल** : डॉ० नीरज ढींगरा, उप महानिदेशक (टी आई), डॉ० शोभिनी राजन, सहक महा निदेशक (एस टी आई और रक्त सुरक्षा), डॉ० रघुराम राव, राष्ट्रीय कार्यक्रम अधिकारी (आई सी आई सी), डॉ० यूजवाल, राष्ट्रीय कार्यक्रम अधिकारी (एम एंड ई) और श्रीमति संचाली राय, परामर्शदाता (आई ई सी)

डी ए सी न्यूज, एड्स नियंत्रण विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, भारत सरकार की पत्रिका है ।

मानार्थ प्रति के लिए संपर्क करें :

एड्स नियंत्रण विभाग

9वां तल, चंद्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ, नई दिल्ली – 110001

दूरभाष : 011-23325343, फैक्स : 011-23731746

डी ए सी न्यूज का ऑनलाइन संस्करण www.naco.gov.in पर उपलब्ध है।

यूए सए आई डी की सहायता से मुद्रित